Sr.AAO I (Ins.)

निदेशक

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.13(21) वित्त/राजस्व/76पार्ट जयपुर, दिनांक 5-5-2020

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—दिनांक 01.04.2020 से परिवर्तित राज्य बीमा प्रीमियम स्लेब के संबंध में।
संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 18 पार्ट—1/बीमा/व्यय एवं प./2003—04/01 दिनांक 27.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रथम/अधिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने और 2 स्लैब हायर तक विकल्प लेने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही करने का श्रम करेः—

1. जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, किन्तु माह मार्च 2020 के वेतन से उक्त कटौती नहीं हुई है, वे कार्मिक माह अप्रेल 2020 के वेतन से उनके द्वारा लिये गये विकल्प अनुसार बीमा प्रीमियम कटौती करा सकेगें।

2. जिन कार्मिकों के द्वारा माह मार्च 2020 के वेतन से बीमा कटौती की दर निर्धारित करने हेतु 1 स्लैब अथवा 2 स्लैब हायर की दर से बीमा प्रीमियम जमा कराने का विकल्प लिया जाना था किन्तु वे इसकी सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी को नहीं दे सके, वे कार्मिक भी माह अप्रेल 2020 के वेतन से उक्त विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम की कटौती करा सकेगे।

3. जो कार्मिक उक्तानुसार प्रथम/अधिक जोखिम के लिये माह अप्रेल 2020 के वेतन में से कटौती कराने की कार्यवाही भी नहीं कर पाये है, या नहीं कर पाते है, तो ऐसे कर्मचारी माह मई, 2020 के वेतन से उक्त कार्यवाही करा सकेगें।

4. उक्त विशेष परिस्थितियों के कारण विभाग के सम्मुख दिनांक 30.06.2020 तक प्रथम/अधिक जोखिम घोषणा पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक होगा।

भवदीय
05/5/2020
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव